कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः-807 /11-सी-FP/UP/Road/34116/2018, लखनऊः दिनांकः जुलाई 24 ,2018

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सा0वा0 वृत्त,
इलाहाबाद।

विषयः- जनपद-इलाहाबाद में एन0एच0-2 जी0टी0 रोड़ (बेगम बाजार से चौफटका) किमी0 185.800 से किमी0 194.000 के मध्य कुम्भ मेला 2019 के अंतर्गत चौड़ीकरण हेतु 6.418 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 194 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः- आपका पत्रांक-233/15-1, दिनांक 20.07.2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः-

1. परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश संलग्न है, किन्तु आदेश की पूर्ण प्रति संलग्न नहीं की गयी है। अतः पूर्ण प्रति संलग्न करते हुये ऑनलाइन अपलोड़ करें।
2. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची संलग्न है किन्तु ऑनलाइन भाग-2 में 31 सेमी0 से अधिक व्यास के 196 वृक्ष अपलोड़ किये गये है, जबकि प्रस्ताव के संलग्न सूची में 31 सेमी0 से अधिक व्यास के 176 वृक्षों का ही उल्लेख है। अतः इस विषमता को दूर कर ऑनलाइन पार्ट-2 में अपलोड़ करें।
3. मार्ग चौड़ीकरण का स्टैण्डर्ड कास सेक्शन (Liner Plan), जिसमें वर्तमान ROW तथा प्रस्तावित ROW की माप दर्शाया गया हो एवं सड़क के किनारे अवशेष जगह की उपलब्धता का विस्तृत विवरण अंकित हो, संलग्न नहीं है।
4. हिन्दी वर्जन भाग-2 में क्रमांक-10(i) से 10(v) में सम्बन्धित विवरण अंकित नहीं किया गया है।
5. ऑनलाइन भाग-2 व हिन्दी वर्जन भाग-2 में जिले का वन क्षेत्रफल भिन्न-भिन्न अंकित है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः एक समान क्षेत्रफल अंकित करें तथा संशोधित ऑनलाइन पार्ट-2 संलग्न करें।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए संशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियॉ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करने का कष्ट करें।

भवदीय

24
(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या- 807 /11-सी- FP/UP/Road/34116/2018, दिनांकित।

प्रतिलिपिः- प्रतिलिपिः- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, इलाहाबाद।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, इलाहाबाद।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-2137